/168720/2023

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–01
संख्या–/I-1/2023-03/01/2021 (E-File No. 50931)
देहरादून : दिनांक : 17 नवम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने व राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का लाभ जन–मानस तक पहुंचाने व दिनांक 24 जनवरी, 2023 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में हुयी बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश के क्रम में योजना प्रस्तावित की गई है। सोलर वाटर हीटर संयंत्र के माध्यम से पानी को सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके गर्म किया जाता है। इसको छत पर अथवा खुले स्थान पर स्थापित कर सकते हैं, जहां सूरज की रोशनी के माध्यम से पानी को गर्म करने के लिए इंसुलेटेड टैंक में एकत्रित किया जाता है। सोलर वाटर हीटर संयंत्र दो प्रकार के होते हैं:–

i. Flat Plate Collector (FPC)
ii. Evacuated Tube Collectors (ETC)

1. **योजना का विवरण :–**

i. एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 तक सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 प्रतिशत एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014 तक व्यापक रूप से सोलर वाटर हीटर संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

ii. वर्तमान में राज्य के निवासियों हेतु योजनान्तर्गत बजट उपलब्धता के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु 100 से 500 ली0 प्रतिदिन क्षमता (500 ली0 प्रतिदिन से अधिक क्षमता होने पर भी अधिकतम 500 ली0 प्रतिदिन के आधार पर अनुदान देय होगा) के सोलर वाटर हीटर पर 50 प्रतिशत अनुदान तथा गैर घरेलू उपभोक्ताओं जैसे आवासीय होटल, संस्थान अन्य आवासीय व्यवसायिक संस्थानों हेतु (राजकीय भवनों को छोड़कर) 500 ली0 प्रतिदिन से 2000 ली0 प्रतिदिन क्षमता तक अथवा इससे अधिक क्षमता के संयंत्रों पर भी प्रति उपभोक्ता 2000 ली0 प्रतिदिन क्षमता तक ही 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

iii. घरेलू/व्यवसायिक उपयोग हेतु 50/30 प्रतिशत अनुदान दिये जाने हेतु अनुमानित बैंचमार्क लागत निम्नवत है। (लागत में संयंत्र के साथ Cold Water Tank, Hot Water Tank, Electrical Backup तथा स्थल पर installation and Commissioning सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त संयंत्र स्थापना पर अतिरिक्त कार्य, पाईपिंग आदि की लागत का

/168720/2023

शत–प्रतिशत वहन लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाना होगा (अनुदान हेतु उक्त लागत सम्मिलित नहीं की जायेगी)।

क्र0 सं0	संयंत्र की क्षमता (ली0प्रतिदिन)	Benchmark हेतु संयंत्र की अनुमानित लागत (रु0)
1	100	21000
2	200	34000
3	300	48000
4	400	66000
5	500	79000
6	1000	164000
7	2000	322000

Note :-

i. These are indicative cost for subsidy calculations only.

ii. Rates on the basis of minimum rates in Rate of Contract for year 2022-23 by UREDA excluding AMC cost @ 20%.

iv. सोलर वाटर हीटर स्थापना के उपरान्त यू0पी0सी0एल0 को आवेदन करने पर यू0पी0सी0एल0 द्वारा बिजली के बिल पर रू0 150.00 प्रति 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता की छूट प्रदान की जाती है।

100 लीटर क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्र का आंकलन

- घरेलू उपभोक्ताओं हेतु :–

क्र0 सं0	विवरण	आंकडें
1.	100 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्र की लागत	रू0 21000.00
2.	प्रस्तावित अनुदान @ 50 प्रतिशत की दर से	रू0 10500.00
3.	100 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्र की प्रभावी लागत (प्रस्तावित अनुदान रू0. 10500.00 घटाने पर)	रू0 10500.00
4.	प्रतिदिन विद्युत की बचत	4.5 यूनिट
5.	वर्ष भर में विद्युत की बचत (300 Sunny Days के आधार पर)	1350 यूनिट
6.	वर्ष भर में विद्युत बचत से बचत की गयी धनराशि (प्रति यूनिट रू0 3.00 की दर से)	1350X3= रू0. 4050.00
7.	संयंत्र की प्रभावी लागत का Payback period	लगभग 2.6 वर्ष

/168720/2023

• व्यवसायिक उपभोक्ताओं हेतु :–

क्र0 सं0	विवरण	आंकड़ें
1.	100 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्र की लागत	रू0 21000.00
2.	प्रस्तावित अनुदान @ 30 प्रतिशत की दर से	रू0 6300.00
3.	100 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्र की प्रभावी लागत (प्रस्तावित अनुदान रू0 6300.00 घटाने पर)	रू0 14700.00
4.	प्रतिदिन विद्युत की बचत	4.5 यूनिट
5.	वर्षभर में विद्युत की बचत (300 Sunny Days के आधार पर)	1350 यूनिट
6.	वर्षभर में विद्युत बचत से बचत की गयी धनराशि (प्रति यूनिट रू0 5.00 की दर से)	1350X5= रू0 6750.00
7.	संयंत्र की प्रभावी लागत का Payback period	लगभग 2.2 वर्ष

2. **योजना के लाभ :–**

i. सोलर वाटर हीटर योजना के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु पीक आवर्स में डिस्कॉम द्वारा मंहगी दरों पर विद्युत क्रय कर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाती है, जिसका सीधा प्रभाव विद्युत उपभोक्ताओं के साथ–साथ राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। सोलर वाटर हीटर की स्थापना से न केवल विद्युत उपभोक्ताओं की ग्रिड विद्युत पर निर्भरता कम होगी, इसके साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना भारत सरकार के वैश्विक स्तर पर एस.डी.जी.–7 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की गयी प्रतिबद्धता में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

ii. प्रदेश में हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

iii. सोलर वाटर हीटर स्थापना में वृद्धि होने से अधिकतम मांग के समय विद्युत की बचत होगी एवं प्रति वर्ष कार्बन–डाई–ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। 100 ली0 प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्र स्थापना पर 1.5 टन कार्बन–डाई–ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी तथा कार्बन उत्सर्जन कम होने पर पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे।

iv. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः गर्म पानी की आवश्यकता होती है एवं इस हेतु लकड़ियों को जलाकर पानी गर्म किया जाता है, जिससे प्रकृति को नुकसान होता है। सोलर वाटर हीटर संयंत्रों के उपयोग से पूर्व में प्रचलित माध्यम (लकड़ी, विद्युत आदि) से प्रकृति को हो रहे नुकसान में कमी आयेगी।

3. **योजना हेतु पात्रता :–**

i. इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के निवासी जिनके पास यू0पी0सी0एल0 का विद्युत कनेक्शन होगा तथा सम्बन्धित भवन का स्वामित्व होगा, वही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

/168720/2023

अविद्युतीकृत क्षेत्र में भवन होने की दशा में सम्बन्धित वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी, उरेडा के द्वारा भवन अविद्युतीकृत क्षेत्र में होने की पुष्टि की जायेगी तथा ऐसे प्रकरणों में आवेदन के समय विद्युत बिल की आवश्यकता से छूट होगी ।

4. **<u>सोलर वाटर संयंत्र स्थापना पर अनुमन्य अनुदान/स्वीकृत सहायता हेतु चयन प्रक्रिया</u>** :–

<u>सोलर वाटर हीटर संयंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन एवं चयन प्रक्रिया</u> :–

i. योजनान्तर्गत आवेदन एवं चयन हेतु Online portalविकसित किया जाना प्रस्तावित है।

- आवेदनकर्ता Online portal पर अपने मोबाईल नम्बर, स्थापना स्थल की सूचना, आधार कार्ड की प्रति, विद्युत बिल की प्रति, स्थापित संयंत्र के बिल की प्रति, निर्धारित स्व–घोषणापत्र, अनुदान प्राप्त करने हेतु खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति तथा निदेशक उरेडा के पक्ष में निर्धारित आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट की प्रति/ऑनलाईन आवेदन शुल्क स्थानान्तरित किये जाने की रसीद portal पर अपलोड कर पंजीकरण करायेगें । आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदनकर्ता की श्रेणी सामान्य/अनु0जाति0/अनु0जनजाति का भी चयन करते हुये अनु0जाति/अनु0जनजाति श्रेणी में होने की दशा मे इससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर से निर्गत) भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पंजीकरण के समय स्थापित संयंत्र की क्षमता का अंकन किया जाना होगा ।
- पोर्टल पर विद्युत बिल के आधार पर घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ता का विकल्प भी दर्ज करना होगा (अविद्युतीकृत क्षेत्र होने पर सम्बन्धित वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी, उरेडा से घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ता होने के सम्बन्ध में सत्यापन प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा)। प्रति 100 ली0 प्रतिदिन क्षमता हेतु रू0 100/- के आधार पर क्षमता अनुसार आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट/Online transfer Director UREDA के खाते में किये जाने के प्रमाण की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन के 15 दिवस में मूल ड्राफ्ट(यदिonline transfer नहीं किया गया हो) उरेडा के कार्यालय पर जमा किया जाना होगा। निर्धारित अवधि में शुल्क प्राप्त न होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को **"पहले आओ, पहले पाओ"** के आधार पर धनराशि उपलब्धता सीमा के अन्तर्गत उरेडा द्वारा सत्यापन करने के उपरान्त स्थापना उचित पाए जाने पर अनुदान अवमुक्त किया जायेगा। संयंत्र स्थापना होने पर पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन करने के उपरान्त उरेडा द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा ।
- आवेदन शुल्क उरेडा के खाते में प्राप्त होने पर तथा निर्धारित प्रपत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी द्वारा निरीक्षण अधिकतम 15 दिवस में करते हुए संयंत्र की स्थापना संतोषजनक होने पर अनुदान अवमुक्त किये

जाने हेतु उरेडा मुख्यालय को संस्तुति (संयुक्त निरीक्षण आख्या Upload करते हुये) की जायेगी। स्थल पर कमी पाये जाने पर आवेदक से अपेक्षित कार्यवाही का प्रपत्र अपलोड करते हुए आवेदक को स्थल निरीक्षण अनुरोध वापस करना होगा। स्वीकृत आवेदक द्वारा कमियां पूर्ण करवाते हुए पोर्टल पर पुनः निरीक्षण का अनुरोध करना होगा। उरेडा द्वारा निरीक्षण के समय उचित पाये जाने पर ही सम्बन्धित स्थापनाकर्ता फर्म को अन्तिम भुगतान किया जाना आवेदक/लाभार्थी के हित में होगा ।

- संयंत्र के सापेक्ष अनुदान अवमुक्त किये जाने की संस्तुति सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी उरेडा से प्राप्त होने पर उरेडा मुख्यालय द्वारा अनुदान सम्बन्धित के खाते में Online Transfer किया जायेगा। संयंत्र स्थापनाकर्ता फर्म को लाभार्थी/स्वीकृत आवदेक द्वारा भुगतान किया जायेगा, जिसमें उरेडा की कोई भूमिका नहीं होगी तथा दोनों के मध्य भुगतान सम्बन्धित विवाद में उरेडा पक्षधर नहीं होगा ।
- योजना हेतु पोर्टल के विकास एवं संचालन हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय राज्य योजना में सोलर वाटर हीटर हेतु अवमुक्त धनराशि से किया जायेगा ।

ii. घरेलू उपभोक्ता को न्यूनतम 100 LPD क्षमता से अधिकतम 500 LPD तक एवं व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक संस्थान को न्यूनतम 500 LPD क्षमता से अधिकतम 2000 LPD तक के सोलर वाटर हीटर संयंत्र पर अनुदान निर्धारित बैंचमार्क लागत के आधार पर स्वीकृति उपरान्त देय होगा, इससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर भी उक्तानुसार सीमा तक ही अनुदान देय होगा ।

iii. लाभार्थी द्वारा न्यूनतम 05 वर्ष तक संयंत्र कार्यशील रखा जाना होगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में लाभार्थी को अवमुक्त अनुदान धनराशि ब्याज सहित वसूल की जा सकती है। न्यूनतम 05 वर्ष तक उरेडा की अनुमति के बिना अन्य भवन में संयंत्र को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

iv. संयंत्र की स्थापना एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार/BIS मानकों के अनुरूप की जानी होगी। संयंत्र की स्थापना के पश्चात उरेडा द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपरान्त संयंत्र की स्थापना मानकों के अनुरूप पाये जाने के पश्चात ही अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा एक स्व–घोषणापत्र उरेडा/पोर्टल में जमा किया जायेगा, जिसमें पिछले 05 वर्षों में प्रथम बार सोलर वाटर हीटर संयंत्र हेतु अनुदान लिये जाने के सम्बन्ध में घोषणा की जायेगी।

v. संयंत्र की स्थापना लाभार्थी द्वारा छाया मुक्त स्थान पर करायी जानी होगी।

vi. आवेदन शुल्क की जमा धनराशि उरेडा द्वारा योजना के क्रियान्वयन, वृहद प्रचार–प्रसार, स्थल निरीक्षण एवं प्रशासनिक व्यय हेतु उपयोग की जाएगी।

/168720/2023

vii. योजना के किसी बिन्दु पर संशोधन/परिमार्जन/स्पष्टीकरण शासन स्तर से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

viii. योजनान्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्ध न होने/उपलब्ध बजट से अधिक आवेदन होने पर अतिरिक्त आवेदन के सापेक्ष अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्राप्त न होने पर अथवा अन्य किसी कारण से आवेदक को राज्य अनुदान निर्गत किया जाना सम्भव न होने पर ऐसी दशा में आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।

ix. वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजट के सापेक्ष उक्तानुसार योजना का शासनादेश निर्गत होने की तिथि को/के पश्चात स्थापित होने वाले सोलर वाटर हीटर संयंत्र स्थापना के सापेक्ष अनुदान हेतु आवेदन किया जा सकेगा तथा आगामी वित्तीय वर्षों में भी अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों में से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के सापेक्ष **"पहले आओ, पहले पाओ"** के आधार पर उपलब्ध बजट धनराशि सीमा तक ही अनुदान अवमुक्त किया जायेगा।

x. राज्य की सौर ऊर्जा नीति वर्ष 2027 तक प्रभावी होने के दृष्टिगत घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत अनुदान प्रथम चरण में वर्ष 2027 तक प्रभावी होगा।

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 14-11-2023 16:57:24

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या–/I-1/2023-03/01/2021 (E-File No. 50931), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त–गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक एवं आयुक्त, उद्योग/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उरेडा, देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0/उ0पा0का0लि0/पिटकुल, देहरादून।
10. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. मीडिया सेन्टर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jagdamba Prasad Maikhuri
Date: 17-11-2023 11:19:49
(जे0पी0 मैखरी)
अनु सचिव।